रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230822
CG-DL-E-29102021-230822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
No. 324] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

सं. 32/2015–2020

विषय : डीटीए से एसईजेड/ईओयू और देश के बाहर स्कोमेट मदों के निर्यात के संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.76 में संशोधन।

फा. सं. 01/77/180/005/एएम20/ईसी(एस) (ई–20868).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से एफटीपी 2015–20 की प्रकिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.76 में संशोधन करते हैं।

2. डीटीए से एसईजेड को स्कोमेट मदों की आपूर्ति के संबंध में विदेश व्यापार नीति (2015–20) की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.76 में मौजूदा प्रविष्टि को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

पैरा 2.76 में मौजूदा प्रविष्टि	पैरा 2.76 में संशोधित प्रविष्टि
2.76 डीटीए से एसईजेड को स्कोमेट मदों की आपूर्ति डीटीए से एसईजैड को स्कोमैट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डीटीए से एसईजैड को स्कोमैट मदों की सभी आपूर्तियां संबंधित एसईजैड विकास आयुक्त को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तियों के होने के एक सप्ताह के	**2.76 डीटीए से एसईजेड/ईओयू और देश के बाहर स्कोमेट मदों की आपूर्ति** डीटीए से एसईजैड/ईओयू को स्कोमैट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि यदि एसईजेड/ईओयू से स्कोमेट मदों को देश के बाहर अर्थात किसी अन्य देश (एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 26 का संदर्भ लें) को

अंदर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट–3 का अनुलग्नक 1] में सूचित की जानी चाहिए। डीटीए से एसईजैड को ऐसी आपूर्तियों की एक वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त (डीसी), एसईजैड द्वारा निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट–3 का अनुलग्नक 2] में स्कामैट अनुभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली–110011 को भेजी जाएगी। एसईजैड के विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा एक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मई तक फाइल की जानी चाहिए। तथापि, यदि स्कामैट मदों को एसईजैड से देश के बाहर अर्थात अन्य देश (एसईजैड नियमावली, 2006 के नियम 26 का संदर्भ लें) को वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है तो निर्यात प्राधिकार–पत्र अपेक्षित होगा।	वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है तो निर्यात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है। डीटीए से एसईजैड/ईओयू को स्कोमैट मदों की सभी आपूर्तियां संबंधित एसईजैड/ईओयू के विकास आयुक्त को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तियों के होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट–3 का अनुलग्नक 1] में सूचित की जानी चाहिए। डीटीए से एसईजेड/ईओयू को की गई इस प्रकार की आपूर्तियों हेतु संबंधित एसईजेड/ईओयू के विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 का अनुलग्नक 2] में एक वार्षिक रिपोर्ट डीजीएफटी (मुख्यालय) उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 मई तक भेजी जाएगी जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान डीटीए से एसईजेड/ईओयू को की गई आपूर्तियों का उल्लेख किया जाएगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार नीति (2015–20) की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.76 में मौजूदा प्रविष्टि को डीटीए से एसईजेड/ईओयू और देश के बाहर आपूर्तियों/निर्यात के लिए स्कोमेट मदों की निर्यात नीति पर स्पष्टता लाने के लिए संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th October, 2021

No. 32/2015-2020

Subject : Amendment in Para 2.76 of Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 regarding export of SCOMET items from DTA to SEZ/EOU and outside the country

F. No. 01/77/180/005/AM20/EC(S) (Computer No. 20868).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendments in Paragraph 2.76 of Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20, with immediate effect.

2. Existing entry at Para 2.76 of HBP of FTP (2015-20) relating to supply of SCOMET Items from DTA to SEZ will be substituted as under:

2.76 Supply of SCOMET Items from DTA to SEZ :	**2.76 Supply of SCOMET Items from DTA to SEZ/EOU and outside the country**
No export authorization is required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ. However, all supplies of SCOMET items from DTA to SEZ will be reported to the Development Commissioner of the respective SEZ by the supplier in the prescribed proforma [Annexure 1 to Appendix-3 to Schedule 2	No export authorization is required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ/EOU. Export Authorisation is, however, required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ/EOU, i.e. to another country (Refer Rule 26 of the SEZ Rules, 2006). All supplies

of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items] within one week of the supplies getting effected. An annual report of such supplies from DTA to SEZ shall be sent to SCOMET Section, DGFT (Hqrs), Department of Commerce, Udyog Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi 110011, by the Development Commissioner (DC), SEZ in the prescribed proforma [Annexure 2 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items]. Report by the DC, SEZ is to be filed by 15th May of every financial year for the supplies effected during the preceding financial year. Export Authorisation is, however, required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ i.e. to another country (Refer Rule 26 of the SEZ Rules, 2006).	of SCOMET items from DTA to SEZ /EOU will be reported to the Development Commissioner (DC) of the respective SEZ/EOU by the supplier in the prescribed proforma [Annexure 1 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items] within one week of the supplies getting effected. An annual report of such supplies from DTA to SEZ/EOU shall be reported to SCOMET Section, DGFT (Hqrs), Udyog Bhavan, New Delhi- 110011 by the DC of the respective SEZ/EOU in the prescribed proforma [Annexure 2 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items] by 15th May of every financial year, in respect of supplies effected from DTA to SEZ/EOU during the preceding financial year.

3. **Effect of this Public Notice :**

Existing entry at Para 2.76 of HBP of the FTP 2015-20 has been modified to bring out clarity on export policy of SCOMET items for supplies/exports from DTA to SEZ/EOU and outside the country.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.29 23:00:20 +05'30'